वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 03.07.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, न्यायाधीश, ज्ञानशिखा टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 03.07.2025

जानकी बाग में अर्धनिर्मित होटल का पांचवां तल ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए की ओर से बुधवार को जानकी बाग में एक अर्ध निर्मित होटल का पांचवा तल ध्वस्त किया गया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार वार्ड-भेलूपुर, जानकी बाग के शाही निवास पर अवैध रूप से निर्मित होटल, जिसे वीडीए ने पूर्व में सील किया था।

सीलबंद होटल भवन के पांचवें तल की छत को श्रमिकों ने ड्रिल मशीन से लगभग 35 स्थानों पर क्षतिग्रस्त किया। इस तल पर निर्मित अवैध दीवारों को हटा दिया गया। इस प्रकार पांचवें तल को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर किया गया है। उषा शाही की ओर से वेल्स इन होटल का निर्माण कराया जा रहा है।

उधर, वीडीए की ओर से बुधवार को रामनगर में अवैध निर्माण सील किया गया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार रामनगर वार्ड के मछरहट्टा में

कार्रवाई करती वीडीए की टीम। स्वयं

छन्नू लाल यादव की ओर से बिना मानचित्र स्वीकृत अनधिकृत निर्माण कर दुकान चलाई जा रही थी। वीडीए की ओर से उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा के तहत सील की कार्रवाई की गई। जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश एवं अवर अभियंता अशोक कुमार रहे। ब्यूरो

बेसमेंट खाली करवा कर पार्किंग की व्यवस्था कराएं

वाराणसी। वीडीए के अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने बुधवार को वीडीए में बैठक की। वार्ड शिवपुर, सिकरौल में अब तक कुल शमन धनराशि 1,81,21,857 जमा कराया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने को कहा। सचेत किया कि अधिकतम एक सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाए। शहर में हो रहे अनियोजित विकास और अवैध प्लॉटिंग चिह्नित करते हुए ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराएं। अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि सौंपे गए कार्यों में किसी प्रकार की कोई लापरवाही और शिथिलता न बरती जाए। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 03.07.2025

वीडीए ने अवैध होटल के छत को किया क्षतिग्रस्त

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर बुधवार को अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन चार के जोनल अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि भेलूपुर वार्ड के जानकी बाग में अवैध तरीके से होटल बनने पर वीडीए ने सील की कार्रवाई की थी। सील तोड़कर भवन स्वामी निर्माण कर रहा था। अवैध होटल के पांचवें तल को तोड़ने के साथ क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जोन पांच के जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश ने बताया कि रामनगर वार्ड मच्छरहट्टा में छन्नू लाल यादव अवैध निर्माण कर रहे थे। भवन को सील कर दिया गया।

हिन्दुस्तान–दि0 03.07.2025

नगवां में निर्माणाधीन पांच मंजिला होटल ध्वस्त किया

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए प्रशासन ने बुधवार को लंका में निर्माणाधीन पांच मंजिला होटल को ध्वस्त कर दिया। गंगाबाग (नगवां) में निर्माणाधीन में होटल वेल्स इन को वीडीए ने दो माह पहले सील किया था। लेकिन काम जारी रखा गया। इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों तक पहुंचने पर ध्वस्तीकरण किया गया।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर होटल की पांचवीं मंजिल पर श्रमिकों ने ड्रिल मशीन से 35 स्थानों पर क्षतिग्रस्त किया। कुछ दीवारों को भी ध्वस्त कर उसे निष्प्रयोज्य बना दिया गया। इसके अलावा रामनगर के मच्छरहट्टा में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए, अवैध रूप से संचालित प्रतिष्ठान को सील किया गया।

हिन्दुस्तान–दि0 03.07.2025

नवनिर्मित भवन हुआ सील

विप्रा उपाध्यक्षके निर्देशपर वार्ड रामनगर मौजा मछरहट्टामें छन्नू लाल यादवने बिना मानचित्रके भवनका निर्माण कराना शुरू किया। शिकायतके आधारपर मौकेपर पहुंचे जोनल अधिकारी गौरव जयप्रकाश, अवर अभियन्ता अशोक कुमार, क्षेत्रीय सुपरवाइजरकी मौजदगीमें भवनको सील कर दिया गया। जिसके बाद जोनल अधिकारीके निर्देशपर अवर अभियन्ताने निकटतम थानेकी सुपुर्दगीमें भवनको सौंप गिया।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 03.07.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव ने की समीक्षा बैठक

वाराणसी। विकास प्राधिकरण, वाराणसी के कार्यालय कक्ष में अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 23.06.2025 से 30.06.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 13,37,227.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह अप्रैल से अभी तक कुल

शमन धनराशि रू0-1,81,21,857.00 जमा कराया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया। सील प्रकरणों की जॉच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक में अपर सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि सौंपें गये कार्यो के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा। उक्त समीक्षा बैठक में जोन-1 के जोनल अधिकारी, शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता, रोहित कुमार एवं फील्ड स्टाफ उपस्थित रहे।

न्यायाधीश–दि0 03.07.2025

वीडीए जोन-05 में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-05 में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। जिसके तहत वार्ड-रामनगर, मौजा-मच्छरहट्टा के अन्तर्गत छन्नू लाल यादव पुत्र स्वर्गीय नक्कू यादव द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अनिधिकृत रूप से निर्माण कर दुकान का संचालन किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत आज दिनांक 02/07/2025 को स्थल को सील किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश एवं अवर अभियंता अशोक कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 03.07.2025

वीडीए ने सील किया अवैध निर्माण

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर जोन-पांच में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्रवाई की गयी। वार्ड-रामनगर, मौजा-मच्छरहट्टा के अन्तर्गत छन्नू लाल यादव द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अनिधिकृत रूप से निर्माण कर दुकान का संचालन किये जाने पर स्थल को सील किया गया। यह कार्रवाई जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश एवं अवर अभियंता अशोक कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल की मौजूदगी में की गयी।